

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

परिशोधन प्रार्थना-पत्र संख्या-88/2013/जोधपुर.
(सम्बन्धित अपील संख्या-2385 व 2386/2007/जोधपुर)

सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी,
घट-प्रथम, वृत्त-‘ए’, जोधपुर.

.....अपीलार्थी (अप्रार्थी).

बनाम

मैसर्स प्राग प्रोडक्ट्स, जोधपुर.

.....प्रत्यर्थी (प्रार्थी).

खण्डपीठ

श्री राजीव चौधरी, सदस्य

श्री के. एल. जैन, सदस्य

उपस्थित : :

श्री आर. आर. सिंघवी, अभिभाषक

.....प्रार्थी की ओर से.

श्री जमील जई,

उप-राजकीय अभिभाषक

.....अप्रार्थी की ओर से.


निर्णय दिनांक : 22/03/2017


निर्णय

1. यह परिशोधन प्रार्थना-पत्र प्रार्थी (प्रत्यर्थी) मैसर्स प्राग प्रोडक्ट्स, जोधपुर द्वारा माननीय राजस्थान कर बोर्ड की खण्डपीठ द्वारा अपील संख्या 2385 व 2386/2007/जोधपुर में संयुक्त रूप से पारित किये गये निर्णय दिनांक 25.02.2013 में परिशोधन हेतु प्रस्तुत किया गया है जिसमें यह कथन किया गया है कि आदेश दिनांक 25.02.2013 में तथ्यों एवं विधि की परिलक्षित भूल होने से राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे 'वेट अधिनियम' कहा जायेगा), की धारा 33 के तहत संशोधन किया जावे।

2. माननीय राजस्थान कर बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत अपील में प्रार्थी व्यवहारी द्वारा बिक्रीत पैकड जलजीरा के विक्रय पर कर दर विवादित थी। कर निर्धारण अधिकारी द्वारा पैकड जलजीरा को दिनांक 09.07.1998 की कर दर सम्बन्धी जारी अधिसूचना में आईटम संख्या 114 पर "पैकड मसाला" पर 12 प्रतिशत कर दर निर्धारित किये जाने से व्यवहारी जलजीरा की बिक्री पैकड मसाला मानकर 12 प्रतिशत से करारोपण किया गया था जिसके विरुद्ध अपील की जाने पर अपीलीय अधिकारी द्वारा इसे सामान्य कर दर योग्य माना परन्तु अपीलीय आदेश के विरुद्ध अपील की जाने पर माननीय राजस्थान कर बोर्ड द्वारा जलजीरा को पैकड मसाला की श्रेणी में माना जाना विधिसम्मत माना गया एवं विभाग की अपील को स्वीकार किया गया था। इस तरह व्यवहारी का बिक्रीत माल पैकड जलजीरा को पैकड मसाला की श्रेणी में मानते हुए एवं उसे पैकड रूप में विक्रय होने से इस पर विशिष्ट अधिसूचित कर दर 12 प्रतिशत आरोपित किया जाना विधिसम्मत माना गया था।

लगातार.....2


22/03/17


22/03/17

3. प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत परिशोधन प्रार्थना-पत्र में कथन किया गया कि माननीय कर बोर्ड के उक्त निर्णय को इस आधार पर त्रुटिपूर्ण माना है कि उनके स्वयं के कर निर्धारण अधिकारी द्वारा विवादित वर्ष के पश्चातवर्ती वर्ष 1999-2000 में भी जलजीरा को मसाला नहीं मानने का आदेश दिनांक 26.02.2002 को किया गया था जबकि उसी अधिकारी ने वर्ष 1998-99 में इसे पैकड मसाला माना था। उन्होंने कथन किया कि जब स्वयं कर निर्धारण अधिकारी द्वारा बाद में यह निर्धारित कर दिया गया है कि प्रार्थी व्यवहारी का बिक्रीत जलजीरा मसाला की श्रेणी में नहीं आता है अतः इस आधार पर उनका माल पैकड मसाला की कर दर की विशिष्ट श्रेणी में सम्मिलित योग्य नहीं था।

4. बहस के दौरान प्रार्थी की ओर से विद्वान अभिभाषक ने कथन किया है कि माननीय उच्चतम न्यायालय का आदेश जो कि जालानी एन्टरप्राइजेज में दिया गया है उसमें भी जलजीरा को Digestive टेबलेट, चूर्ण, पाउडर एवं लिक्विड की श्रेणी में नहीं माना जाने सम्बन्धी निर्णय नहीं दिया है। इस सम्बन्ध में तर्क दिया कि जालानी एन्टरप्राइजेज का बिक्रीत माल प्रार्थी व्यवहारी के समान नहीं था क्योंकि उस प्रकरण में तैयार किये गये "जलजीरा" में कई तरह के मसाला सम्मिलित थे, जबकि प्रार्थी व्यवहारी का जलजीरा आयुर्वेदिक फॉर्मूला से बनाया हुआ था एवं आयुर्वेदिक लाईसेंस प्राप्त था एवं माननीय उच्चतम न्यायालय ने जालानी एन्टरप्राइजेज के जलजीरा में दिये गये अवयवों (ingredients) की सूची में कई तरह से मसालों का मिश्रण होने के आधार पर पैकड मसाला माना था जबकि प्रार्थी व्यवहारी के द्वारा निर्मित पाचक जलजीरा आयुर्वेद विभाग के प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा पाचक जलजीरा माना गया है इस तरह उनका जलजीरा जालानी एन्टरप्राइजेज के जलजीरा से अलग होने से माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश के अनुकरण में उनके विरुद्ध अपील निर्णय किया जाना अनुचित था।

उक्त तथ्यों के मद्देनजर आदेश को संशोधित कर विभाग की उक्त निर्णय में स्वीकार की गई अपीलों को पुनः अस्वीकार करने का निवेदन किया।

5. अप्रार्थी राजस्व की ओर से विद्वान उप-राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि माननीय राजस्थान कर बोर्ड का निर्णय दिनांक 25.02.2013 पूर्णतया विधिसम्मत होने के साथ पूर्ण सचेतन मस्तिष्क से पारित किया गया है जिसमें व्यवहारी का बिक्रीत माल जलजीरा को पैकड फॉर्म में विक्रय करने पर माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिये गये निर्णय दिनांक 17.03.2011 के अनुगमन में विधिक रूप से कर दर 12 प्रतिशत माना गया है जिसमें किसी भी तरह के संशोधन किये जाने की आवश्यकता नहीं है। साथ ही यह भी कथन किया कि माननीय उच्चतम न्यायालय के सिविल अपील संख्या 2692/2011 सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी बनाम मैसर्स मक्कड़ प्लास्टिक एजेन्सीज में पारित



Amrinder
22/03/17

लगातार.....3

निर्णय दिनांक 29.3.2011 [(2011) 29 टैक्स अपडेट 253] के आलोक में इस अपीलीय आदेश में तथ्यों एवं विधि की पूर्ण व्याख्या संशोधन के तहत नहीं की जा सकती। यह भी कथन किया कि प्रकरण में एक विशिष्ट वस्तु की कर दर का विवाद था जिसका निर्णय अन्तिम रूप से माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा किया गया है जिसके विपरीत किसी भी तरह का मत दिया जाना विधिविरुद्ध है।

6. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थी के प्रार्थना-पत्र पर विचार किया गया।

7. प्रार्थी व्यवहारी का तथ्यों के आधार पर यह कथन है कि जलजीरा को मसाला मानने सम्बन्धी निर्णय करने वाले प्रथम कर निर्धारण अधिकारी द्वारा पुनः अगले वर्ष में दिनांक 26.02.2002 को वर्ष 1999-2000 में किये गये कर निर्धारण में स्वयं ने इसे मसाला की श्रेणी में नहीं माना था अतः उस आधार पर प्रार्थी व्यवहारी का जलजीरा मसाला की श्रेणी में नहीं मानने के आधार पर विभाग की अपील अस्वीकार की जानी चाहिये थी जबकि माननीय कर बोर्ड ने उस समय इस बिन्दु पर गौर नहीं किया। इस बिन्दु पर विचार करने पर पाया कि कर निर्धारण अधिकारी के मतानुसार बाद के वर्ष में स्वयं ने जलजीरा को मसाला की श्रेणी में नहीं माना है परन्तु इसी वस्तु के मामले में अन्य प्रकरण में कर दर विवाद होने पर पैकड जलजीरा को पैकड मसाला की श्रेणी में माने जाने का निर्णय माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा वर्ष 2011 में किया गया है ऐसी स्थिति में कर निर्धारण अधिकारी के विनिश्चय को प्रभावी नहीं किया जा सकता क्योंकि माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा निर्णीत किये गये मामले में स्थापित विधि सर्वोपरी होती है एवं माननीय कर बोर्ड के निर्णय पर पूर्ण विचार कर इसी बिन्दु पर माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा दिये गये आदेश को उद्धरित करते हुए यह निर्णय किया गया था। माननीय उच्चतम न्यायालय ने जलजीरा को इस तरह अंकित किया था :- "There is no doubt that Jaljira is a drink. The contents of Jaljira is put into water and taken as digestive drink but when we look into the manner and method of preparation of the product Jaljira, we find that it is mixture of different spices after grinding and mixing. Therefore, it is nothing but a Masala packed into packets of different nature/quantity and sold to the consumers. It would, therefore, for all practical purposes would come within the Entry No. 184 and it cannot be said that it would come under the residuary entry as held by the High Court."

8. इस तरह माननीय कर बोर्ड ने पूर्ण विचार कर जलजीरा की कर दर के अवधारण में माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश की अनुपालना की है जिसमें संशोधन का कोई प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है।



Amal Kumar
22/03/17


लगातार.....4


9. प्रार्थी के विद्वान अभिभाषक की इस दलील पर विचार किया गया कि उनके उत्पाद के लिये चूंकि आयुर्वेद विभाग से आयुर्वेदिक लाईसेंस भी प्राप्त था एवं जालानी एन्टरप्राइजेज से पूरी तरह समान नहीं था तब पाया कि चूंकि "जलजीरा" एक विशिष्ट वस्तु है जिसे कर निर्धारण अधिकारी द्वारा मसाला माना गया है एवं माननीय उच्चतम न्यायालय ने पूरी विवेचना के पश्चात् एवं जलजीरा के उपयोग तक विश्लेषण के बाद यह स्पष्ट किया है कि - "It is settled law that when one particular item is covered by one specified entry, then the Revenue is not permitted to travel to the residuary entry."
10. उपरोक्त विवेचन के मददेनजर माननीय राजस्थान कर बोर्ड के निर्णय दिनांक 25.02.2013 में किसी भी तरह की त्रुटि नहीं होना प्रमाणित होने से प्रस्तुत संशोधन प्रार्थना-पत्र अस्वीकार किया जाता है।
11. प्रकरण में इस परिशोधन प्रार्थना-पत्र पर यह टिप्पणी करना भी उचित समझते हैं कि वेट अधिनियम की धारा 33 के तहत केवल "Mistake apparent on record" तक के मामलों में ही सुधार की अनुमति है एवं किसी सुविचारित निर्णय को परिवर्तन करने की अनुमति यह धारा प्रदान नहीं करती है। माननीय उच्चतम न्यायालय के ऊपर वर्णित निर्णय मैसर्स मक्कड़ प्लास्टिक में राजस्थान विक्रय कर अधिनियम, 1994 की धारा 37, जो कि वेट अधिनियम की धारा 33 के सदृश है, पर व्याख्या कर निर्णय दिया गया था कि :-

"18. Section 37 of the Act of 1994 provides for a power to rectify any mistake apparent on the record. Such power is vested on the authority to rectify an obvious mistake which is apparent on the face of the records and for which a re appreciation of the entire records is neither possible nor called for. When the subsequent order dated 22.01.2009 passed by the Taxation Board is analysed and scrutinised it would be clear/apparent that the Taxation Board while passing that order exceeded its jurisdiction by re appreciating the evidence on record and holding that there was no mala fide intention on the part of assessee respondent for tax evasion. Such re-appreciation of the evidence to come to a contrary finding was not available under Section 37 of the Act of 1994 while exercising the power of rectification of error apparent on the face of the records."

12. उक्तानुसार प्रस्तुत प्रकरण में किसी तरह की त्रुटि (error) नहीं की गयी है। फलतः इस आधार पर भी परिशोधन प्रार्थना-पत्र अस्वीकार किया जाता है।

13. निर्णय सुनाया गया।


(के. एल. जैन)
सदस्य


(राजीव चौधरी)
सदस्य